अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या ..... 516 ..... (II) / 2010-11

आदेश फलक

आवेदन की तिथि– 5-7-10
अधिसुचना तिथि– 6-7-10
निर्गत तिथि– 7-7-10

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
14/5/10	आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती 1. बिनोद कुमार साव 2. संदीप कुमार साव पिता/पति राजेन्द्र साव ग्राकिम सन्जी पट्टी, गोइलेबांध थाना झरिया जिला–धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा ओ झाड़ झरिया मौजा नं० 12 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1691 रकवा 1 ए० (1.65 डि०) दलील सं० 12011 दिनांक 4.11.09 के द्वारा श्री/श्रीमती झाणिक सिंह एवं अन्य से प्राप्त किया है। मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28.5.10 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी धनबाद।	
28/5/10	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नही किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार – 1. भूमि रैयती खाते की है। 2. जमाबदी सं० 43 में विक्रेता के/~~विक्रेता के~~ पताइत .....के नाम लगान से रसीद कट रहा हैं। 3. आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। 4. निबंधन धनबाद/ ~~कलकत्ता~~ निबंधन कार्यालय से किया गया है, ~~तथा अन्तर मुद्रांक की सशि को कोषागार में जमा कर दलील को चैध कर लिया गया है।~~ 5. प्रश्नगत भूमि गैर आबाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है। अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल–खारिज आवेदन को..... .....किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एंव हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी	

क्षर

आवेदन की तिथि– 05-7-10
अधिसुचना तिथि– 06-7-10
निर्गत तिथि– 07-7-10

प्रपत्र सं. 5-40

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयतों) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला

जिला.....अनुमण्डल.....सर्किल/अंचल.....हल्का.....इस्टेट का नाम.....

क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तर केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजुर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है बिक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा ब्यौरा	कर्मचारी द्वारा पंजीकृत को शुद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10-11	कोलाकुडाहा	चरकाढ 12	जाता नं.- 43 प्लॉट नं.- 1691 रकबा - 1 क०(1.65 डी०) लगान - 1.00 रु०	डी० प्र०, चरकाढ	बिक्री दलील न०- 12011 4/11/09	पुराना रैयत :- नवाब शाह वी० जमा० नं० 43 नया रैयत :- 1. श्री संतोष कुमार साव 2. " संदीप कुमार साव पिता राजेन्द्र साव सा० कांटीबाँध, जमीरा।	

ज्ञापांक संख्या०.....ता०.....200

कर्मचारी हल्का सं०.....को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

सर्किल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी

सर्किल/अंचल.....